"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 261 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2013—आषाढ़ 4, शक 1935

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 25 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-32/2012/19/तक-4.—भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10/97/जी/19 भोपाल, दिनांक 29-06-1998 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, गरियाबंद जिले में राजिम-देवभोग मार्ग के कि.मी. 128/2-6 पर स्थित झापन नाला पुल पर पथकर की वसूली, दिनांक 01-07-2013 से समाप्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जे. एम. लुलु,** उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 25 जून 2013

क्रमांक एफ 20-32/2012/19/तक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-32/2012/19/तक-4, दिनांक 25-06-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जे. एम. लुलु**, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 25th June 2013

NOTIFICATION

No. F-20-32/2012/19/T-4.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the state of Chhattisgarh and in supersession of Department's Previous Notification No. F-23-10/97/G/19, Bhopal, Dated 29-06-1998, the State Government, hereby, revokes the levy of toll on Jhapan Nalla Bridge, located at 128/2-6 km. of Rajim-Devbhog Road in Gariyaband District, with effect from 01-07-2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.